म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नि./उपविधि संशो./36/पार्ट–4/285 भोपाल, दिनांक 13/04/2020

–:: आदेश ::–

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण की विशेष परिस्थिति में प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय–विक्रय को सुगम बनाने एवं किसानों की मंडी में संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से यह निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में निर्वाचित मंडी समितियां अस्तित्व में नहीं होने से उनका साधारण सम्मेलन आहूत करने की स्थिति नहीं होने के कारण मंडी समिति के संचालन के लिए नियुक्त भारसाधक अधिकारी द्वारा उपविधि सन् 2000 में निम्न उपबंधो में दिनांक 15.04.2020 से 30.06.2020 तक की सीमित अवधि हेतु परन्तुक के रूप में संशोधन अस्थाई रूप से तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जायें :–

क्र	उपविधि कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	27	मण्डी प्रांगण के बाहर मण्डी क्षेत्र मे अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने हेतु अनुज्ञप्ति उसी व्यक्ति को दी जायेगी जो कि वित्तीय वर्ष मे पूर्व वर्ष की तुलना मे अधिक मात्रा मे अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने के लिए वचन बद्ध हो।	मण्डी प्रांगण के बाहर मण्डी क्षेत्र मे अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने हेतु अनुज्ञप्ति उसी व्यक्ति को दी जायेगी जो कि वित्तीय वर्ष मे पूर्व वर्ष की तुलना मे अधिक मात्रा मे अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने के लिए वचन बद्ध हो। परन्तु दिनांक 15.04.2020 से 30.06.2020 तक विशिष्ठ अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन जिनमें 06 माह हेतु (अधिकतम समय सीमा 14.10.2020 तक के लिए) स्वीकृत की जाने वाली विशिष्ठ अनुज्ञप्ति हेतु उक्त शर्त शिथिल रहेगी।
2	28	'विशिष्ट अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रारूप पांच–द मे आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ रूपये 10,000/– का डिमान्ट ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।	'विशिष्ट अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रारूप पांच–द मे आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ रूपये 10,000/– का डिमान्ट ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। परन्तु मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज क्रय के विक्रय हेतु मंडी प्रागंण के बाहर क्रय–केन्द्र स्थापित करने के लिये दिनांक 15.04.2020 से 14.10.2020 तक की सीमित अवधि हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति के लिये प्रारूप पांच–द मे मंडी मे आवेदन (दिनांक 15.04.2020 से 30.06.2020 तक) के साथ

			रूपये 500/- का डिमान्ट ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
3	30	जिस ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के कार्यक्षेत्र मे मण्डी प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण स्थित है उसकी सीमा से न्यूनतम 03 किलोमीटर के भीतर तथा आवेदक के प्रसंस्करण या विनिर्माण संयत्र से एक किलोमीटर से कम दूरी के भीतर क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति नही दी जायेगी।	जिस ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के कार्यक्षेत्र मे मण्डी प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण स्थित है उसकी सीमा से न्यूनतम 03 किलोमीटर के भीतर तथा आवेदक के प्रसंस्करण या विनिर्माण संयत्र से एक किलोमीटर से कम दूरी के भीतर क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति नही दी जायेगी। परन्तु दिनांक 15.04.2020 से 30.06.2020 तक की सीमित अवधि हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति अन्तर्गत स्थानीय मंडी द्वारा निरीक्षण उपरांत निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग के मान से खरीदी हेतु पर्याप्त खुले स्थान पर क्रय-केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा, जिसमें मंडी प्रांगण तथा प्रसंस्करण/विनिर्माण संयंत्र से दूरी का बंधन शिथिल रहेगा।
4	31(2)	अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगण मे गत् दिवस उपलब्ध हुआ न्यूनतम व अधिकतम मूल्य क्रय केन्द्र पर सहज दृष्टिगोचर स्थल पर कम से कम 3X2 आकार का सूचना बोर्ड लगाकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।	अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगण मे गत् दिवस उपलब्ध हुआ न्यूनतम, अधिकतम एवं मॉडल मूल्य, क्रय केन्द्र पर सहज दृष्टिगोचर स्थल पर कम से कम 3X2 फीट आकार का सूचना बोर्ड लगाकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।
5	2(ड़)	"सौदा" से अभिप्रेत है मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में जो मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु नहीं आई हो किन्तु मंडी क्षेत्र के मूल मंडी के बाहर के किसी स्थान के विक्रेता द्वारा नमूने के आधार पर घोष विक्रय द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को मंडी समिति के माध्यम से विक्रय की जाये और मंडी में पदस्थ कर्मचारी द्वारा मंडी प्रांगण/उप मंडी प्रांगण/अथवा मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर सम्पन्न कराया जाये।	"सौदा" से अभिप्रेत है मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय के संबंध में जो मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु नहीं आई हो किन्तु मंडी क्षेत्र के मूल मंडी के बाहर के किसी स्थान के विक्रेता द्वारा नमूने के आधार पर घोष विक्रय द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को मंडी समिति के माध्यम से विक्रय की जाये और मंडी में पदस्थ कर्मचारी द्वारा मंडी प्रांगण/उप मंडी प्रांगण/अथवा मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर सम्पन्न कराया जाये। परन्तु दिनाक 15.04.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक की अवधि अन्तर्गत "सौदा" से अभिप्रेत है मंडी बोर्ड द्वारा

			विनिर्दिष्ट ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के क्रय—विक्रय के संबंध में जो मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु नहीं आई हो किन्तु मंडी क्षेत्र का विक्रेता नमूने के आधार पर घोष विक्रय द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को मंडी समिति के माध्यम से विक्रय की जाये और मंडी में पदस्थ कर्मचारी द्वारा मंडी प्रांगण/उप मंडी प्रांगण पर सम्पन्न कराया जाये अथवा मंडी प्रांगण के बाहर यदि क्रेता एवं विक्रेता की पूर्व सहमति हो चुकी है तब आपसी सहमति के आधार पर किया गया क्रय—विक्रय।
6	16(4)	परन्तु मंडी क्षेत्र के बाहर का विक्रेता अपनी विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज को किसी कारणवश मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में नहीं ला पाता है और नमूने के आधार पर ऐसी कृषि उपज का विक्रय करना चाहता है, तब केवल बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज का मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण अथवा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर नमूने के आधार पर घोष विक्रय कराया जावेगा और ऐसे विक्रय के संबंध में सचिव मंडी समिति द्वारा **प्रारूप—दो** में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जायेगा। मंडी प्रागंण के सिवाए, मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजो का क्रय—विक्रय केवल उपविधि कंडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केन्द्रों पर ही सम्पन्न होगा।	मंडी क्षेत्र का विक्रेता अपनी अधिसूचित कृषि उपज को किसी कारणवश मंडी प्रांगण में नहीं ला पाता है और नमूने के आधार पर कृषि उपज का विक्रय करना चाहता है तब नमूने के आधार पर उसका घोष विक्रय कराया जायेगा अथवा दिनांक 15.04.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि अन्तर्गत मंडी प्रांगण के बाहर यदि क्रेता एवं विक्रेता की पूर्व सहमति हो चुकी है तब आपसी सहमति के आधार पर ऐसे सौदे के संबंध में सचिव, मंडी समिति द्वारा प्रारूप—दो में सौदा पत्रक संपादित कराया जाएगा। मंडी प्रागंण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजो का क्रय—विक्रय उपविधि कंडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केन्द्रों पर भी प्रारूप दो (अ) में सौदा पत्रक सम्पादित कराया जाएगा।

जो विशिष्ठ अनुज्ञप्ति उपविधि की कण्डिका 30 (2) में निर्धारित पांच वर्ष के लिए स्वीकृत की जायेगी, उस अनुज्ञप्ति के लिए दिनांक 15.04.2020 के पूर्व के उपबंध ही लागू होगें।

13.4.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./बी–6/नि./उपविधि संशो./36/पार्ट–4/286 भोपाल, दिनांक 13/04/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3 संयुक्त/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/नर्मदापुरम/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/चंबल/जबलपुर/सागर/रीवा की ओर उपविधि मे उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए स्थापित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और इसका पालन प्रतिवेदन दिनांक 20.04.2020 तक मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें।
3 भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति................................जिला.................. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4 गार्ड फाइल/एमआईएस शाखा/प्रांगण शाखा।

13.4.20

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल